न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-16/2010

इब्राहिम पुत्र गुन्ना जाति चुरेजी मुसलमान निवासी खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

--अपीलान्ट---

---बनाम---

नायब तहसीलदार खण्डेला- --रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 6-10-2010 द्वारा अपर जिला कलेक्टर सीकर ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री राजेशकुमार सुण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री पी0केरमल एडवोकेट- राजकीय अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक- 4.6.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने नायब तहसीलदार खण्डेला के समक्ष रिपोर्ट की कि ख0नं0 2099 गै0मु0 सिवायचक में से 0.02 हैक्टर तन मेहरो की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर मे चूना भट्टा लगाकर नाजायज कब्जा कर रखा है । इस पर गैर सायल को राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी किया जिसका जबाब पेश किया । जिस पर अदालत मातहत नायब तहसीलदार ने गैर सायल को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वानअपर जिला कलेक्टर सीकर के यहां अपील पेश की जिसकी सुनवाई करते हुये अपील स्वीकार कर विद्वान नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि आराजी ख0नं0 2099 रकबा 0.02 हैक्टर भूमि की

जाच करे, अगर विवादित आराजी पर चूना भटटा बना रखा है तो विधि सम्मत कार्यवाही कर चूना भटठाकी सीमा तक बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे ।इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलार्थी के पिता स्व0 मून्ना पुत्र मोलाबक्स व्यापारी{कुरेशी} मुसलमान अर्सा 35-36 वर्ष पूर्व ग्राम मेहरों की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर के पुराना ख0नं0 1025 के रकबा 15 बिस्वा भूमि जिसके हाल ख0नं0 2099 रकबा 0.13 हैक्टर पर दो पुखता कमरा रिहायशी मकान बनाकर आबाद है एवं अपनी आजीविका हेतु उक्त भूमि में चूना कली भटटा बनाकर चारों तरफ पुखता दीवार बनाकर आबाद है। पिछले 35 वर्षो से लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है ।यह आराजी कभी भी चारागाह व अन्य उपयोग में नहीं ली गई है ।जिसका राजस्व रेकार्ड में विधिवत इन्द्राज है । इसके बाद भी विद्वान नायब तहसीलदार बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलान्ट को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये । जिसके सम्बन्ध में अदालत मातहत ने भी विधि संगत आदेश पारित नहीं किया है ।ग्राम मेहरों की ढाणी नगरपालिका खण्डेला की परिधि क्षेत्र{पेराफेरी} में आती है। उक्त पेराफेरी क्षेत्र की भूमि नगरपालिका खण्डेला के क्षेत्राधिकार की भूमि जिसमें वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 व उक्त अधिनियम के तहत बने नियमों के तहत नगरपालिका खण्डेला को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार है। रेस्पोंडेन्ट नायब तहसीलदा-र खण्डेला को इस आराजी पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है ।इसके बाद विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर ने इस प्रकरण को विधि विरूद्ध रिमाण्ड किया है जो नायब तहसीलदार खण्डेला के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है ।विवादित आराजी पर अपीलान्ट का लगातार 35-36 वर्षों से कब्जा होने से यह आराजी नियमन की श्रेणी में आती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राज...

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त कर विवादित आराजी को नियमन किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों मे दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट 35-36 वर्षों से मकान बना कर तथा आजीविका पालन के लिये एक कली चूना का भटटा लगाकर काबिज है यह आराजी पेराफेरी क्षेत्र की भूमि है जिस पर नायब तहसीलदार को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ।अदालत मातहत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना साक्ष्यो का अवलोकन किये आदेश पारित किया है।अदालत मातहत ने भी प्रकरण को बिना क्षेत्राधिकार होने के बावजूद नायब तहसीलदार को रिमाण्ड कर कानूनी भूल की है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उक्त दोनो अदालतो के आदेश निरस्त कर उक्त आराजी को नियमन किये जाने के आदेश दिये जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजकीय भूमि है । जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 पाल दर्ज है जो नायब तहसीलदार के क्षेत्राधिकार की आराजी है । विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर ने प्रकरण को नायब तहसीलदार को विवादित आराजी ख0नं0 2099 की जांच कर पुनः आदेश पारित करने का आदेश दिया है जिसमें स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी पर चूना भटटा बना रखा है तो विधि सम्मत कार्यवाही कर चूना भटटा की सीमा तक बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावे । अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर ने प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुये प्रकरण नायब तहसीलदार को विवादित आराजी की जांच कर विवादित भूमि में चूना भटटा बना रखा है तो विधि सम्मत कार्यवाही कर चूना भटटा की सीमा तक बेदखल किये जाने की कार्यवाही के आदेश दिये हैं । अदालत मातहत का यह आदेश उचित एवं कानून संगत आदेश है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 6-10-2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18

भंवरलाल पेहड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर